उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–14/2016–17

बली दास एवं अन्य

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 14.08.17

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता बली दास, पे0–स्व0 सुफल दास वो काली दास, पे0–स्व0 सुफल दास वो त्रिवेणी दास, पे0–स्व0 सुफल दास वो बलराम साह, पे0–स्व0 उधो साह वो मुनेश्वर दास, पे0–स्व0 सुफल दास वो अरविन्द दास, पे0–स्व0 घुटेश्वर दास सभी साकिनान–गंगटा फसिया, अंचल–गोड्डा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के रा0वि0 वाद सं0–31/2011–12 (शिवशंकर मंडल बनाम् घुटेश्वर दास वगै0) के आदेश दिनांक–18.06.13 के विरूद्ध दायर किया है। लेकिन बार–बार मौका देने के बाबजूद अपीलकर्त्तागण के अनुपस्थित रहने के कारण उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उत्तरवादी सं0–2 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0–31/11–12 के आदेश दिनांक–18.06.13 के विरूद्ध अपीलकर्त्तागण की ओर से लम्बा अंतराल के बाद दिनांक–20.07.16 को अपील आवेदन दायर किया गया है। जबकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 66 के प्रावधान के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध 60 दिन के अंदर उपायुक्त के न्यायालय में अपील दायर किया जाना चाहिए था। लेकिन वर्तमान अपील आवेदन निम्न न्यायालय के आदेश के विरूद्ध तीन वर्ष के बाद दायर किया गया है। इस प्रकार समय सीमा के अंदर अपील वाद दायर नहीं किया गया है। इसलिए काल बाधित होने के कारण अपीलकर्त्तागण का अपील आवेदन खारिज होने योग्य है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण के द्वारा दावा किया गया है कि अपीलवादगत जमीन उत्तरवादी सं0–2 के माता देवकी देवी से बंदोवस्ती पट्टा के द्वारा अपीलकर्त्तागण को प्राप्त हुआ है। लेकिन उनलोंगो का दावा गलत एवं

निराधार है। क्योंकि अपीलवादगत जमीन प्रधानी जोत जमीन है जिसका हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। उत्तरवादी सं0–2 शिवशंकर मंडल मौजा के प्रधान है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 69 के प्रावधान के अनुसार भी प्रधानी जोत जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है तथा संथाल परगना सेटलमेंट रेगूलेशन की धारा 18 भी प्रधानी जमीन पर किसी के दखल के आधार पर स्वामित्व कायम करने का अनुमति नहीं देता है। इसलिए अपीलकर्त्तागण का दावा नियम के विपरीत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि अपीलवादगत जमीन प्रधानी जोत है और उक्त जमीन प्रधान के उपयोग के लिए होता है। अपीलकर्त्तागण की ओर से नियम संगत कागजात भी दाखिल नहीं किया गया है एवं अपील आवेदन में जमीन का विवरण भी अंकित नहीं किया गया है। इसलिए अपीलकर्त्तागण का अपील आवेदन खारिज करने लायक है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, विज्ञ सहायक सरकारी वकील के मंतव्य एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलवादगत जमीन प्रधानी जोत की जमीन है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 69 के तहत प्रधानी जोत भूमि का अंतरण पूर्णतः वर्जित है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0–31/2011–12 के दिनांक–18.06.2013 के आदेश बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Bhr 14/08/21   Bhr 14/08/21

उपायुक्त,   उपायुक्त,
गोड्डा।   गोड्डा।

Seen 16/8/21

Seen 16/8/2021

डेस्की - 139
01-09-2021

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 11:57:20 +05:30
Location: 192.168.29.32